न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Appeal 223 RTA 2020-077(GCMS 2020-00161)

1. गुट्टीदेवी पत्नी पुखराज पुत्री घीसाराम माली
   निवासी ग्राम पिचियाक, तहसील बिलाडा
   जिला जोधपुर
2. विघादेवी पत्नी नारायण पुत्री घीसाराम माली
   निवासी ग्राम बिसलपुर, तहसील जोधपुर
   जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. डूँगर पुत्र घीसाराम माली
2. गिरधारी पुत्र घीसाराम माली
3. पुखराज पुत्र घीसाराम माली
4. लिछमण पुत्र घीसाराम माली
   निवासीगण पीपाडशहर, तहसील पीपाडशहर
   जिला जोधपुर
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाडशहर
   जिला जोधपुर
6. भींयाराम पुत्र रूपाराम के कायममुकामान-
   6.1. किशनाराम पुत्र भींयाराम माली
   6.2. सोहनलाल पुत्र भींयाराम माली
   6.3. पारसराम (चिण्टू) पुत्र भींयाराम माली
   6.4. कानाराम पुत्र भींयाराम माली
   निवासीगण ग्राम सिलारी, तहसील पीपाडशहर
   जिला जोधपुर
   6.5. ओमादेवी पुत्री भींयाराम पत्नी जेठाराम माली
   निवासी गुडीया, तहसील पिपलीयाकलां
   जिला पाली
   6.6. दुर्गा पुत्री भीयाराम पत्नी भोमाराम माली
   निवासी देवातडा इंडियो की ढाणी
   तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर
   6.7. पाचुडी पुत्री भींयाराम पत्नी मंगाराम माली
   निवासी देवातडा इंडियो की ढाणी
   तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर
7. कानाराम पुत्र सुजाराम माली
8. सुखडी पत्नी नाथुराम माली
9. दयाराम पुत्र नाथुराम माली
10. बद्रीराम पुत्र नाथुराम माली
11. भीकाराम पुत्र नाथुराम माली
12. खींयाराम पुत्र नाथुराम माली

25.7.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

13. दलाराम पुत्र नाथुराम माली
14. हीराराम पुत्र नाथुराम माली
    निवासीगण सिलारी, तहसील पीपाडशहर
    जिला जोधपुर
15. रुकमां पुत्री नाथुराम पत्नी श्रवणराम माली
    निवासी मामा गिडा कोसाणा, तहसील पीपाडशहर
    जिला जोधपुर
16. प्रकाश पुत्र रामदीन माली,
    निवासी सिलारी, तहसील पीपाडशहर
    जिला जोधपुर
17. मुन्ना पुत्री रामदीन पत्नी लाबूराम माली
    निवासी मामा गिडा कोसाणा, तहसील पीपाडशहर
    जिला जोधपुर
18. छटिया पुत्री रामदीन पत्नी कुशालराम माली
    निवासी कृष्णानगर, कोसाणा
    तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर
19. किनिया पुत्री रामदीन पत्नी नरसिंह माली
    निवासी गहलोतों का बेरा, गंगाणी
    तहसील व जिला जोधपुर
20. थापु पुत्री रामदीन पत्नी अशोक माली
    निवासी सिलारी, तहसील पीपाडशहर
    जिला जोधपुर
21. मीमा पुत्री रामदीन माली
    निवासी सिलारी, तहसील पीपाडशहर
    जिला जोधपुर
22. घेवरराम पुत्र हमीरराम माली
23. भगाराम पुत्र हमीरराम माली
24. रामचन्द्र पुत्र हमीरराम माली
25. प्यारी पत्नी हमीरराम माली
26. कचराराम पुत्र चिमनाराम माली
27. सुगनाराम पुत्र चिमनाराम माली
    निवासीगण सिलारी, तहसील पीपाडशहर
    जिला जोधपुर
28. दुर्गा पुत्री चिमनाराम पत्नी रामदीन माली
    निवासी भयाला बोदला बेरा
    पीपाडशहर, जोधपुर
29. सुखिया पुत्री चिमनाराम पत्नी हिम्मताराम माली
    निवासी कृष्णानगर, कोसाणा
    तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर
30. सुनिल पुत्र भंवरलाल माली
31. राकेश पुत्र भंवरलाल माली
32. लीला पुत्री भंवरलाल माली
33. राधा पुत्री भंवरलाल माली

25.7.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

34. पूनम पुत्री भंवरलाल माली
35. सूरजा पुत्री भंवरलाल माली
    निवासीगण फुलासागर, कोसाणा
    तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर
36. छोटी पत्नी शिवराम माली
37. बींजाराम पुत्र शिवराम माली
38. मनोहर पुत्र शिवराम माली
39. सुखराम पुत्र शिवराम माली
    निवासीगण सिलारी, तहसील पीपाडशहर
    जिला जोधपुर
40. रुकमा पुत्री शिवराम पत्नी दलाराम माली
    निवासी केशाजी की ढाणी, आनन्दपुर कालू
    तहसील जैतारण, जिला पाली
41. लालादेवी पुत्री शिवराम पत्नी परसराम माली
    निवासी अरटियाखुर्द, तहसील भोपालगढ
    जिला जोधपुर
42. प्रेम पुत्री शिवराम पत्नी पप्पूराम माली
    निवासी पालासनी देवलीया के पीछे
    तहसील व जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर दिनांक 13 मार्च 2020 राजस्व वाद संख्या 10/2018 अनवान गुट्टीदेवी व अन्य बनाम डूँगर इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री सुगनमल परिहार एवं श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री कैलाशसिंह भाटी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 4
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 5
श्री जावेद हुसैन, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 6 से 42

नि र्ण य

दिनांक : 25 अक्तू., 2023

अपीलाण्ट्स ने यह अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर द्वारा राजस्व वाद संख्या 10/2018 गुट्टीदेवी व अन्य बनाम डूँगर इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 13 मार्च 2020 के खिलाफ

25.X.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 09 जुलाई 2020 को प्रस्तुत की है। साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम भी प्रस्तुत किया गया। एक अन्य प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 20 नियम 6ए(2) सीपीसी पेश कर अपीलाधीन निर्णय के अंतिम पद को डिक्री पर्चा माने जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-अपीलाण्ट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम पीपाडशहर की सीमा में स्थित आराजी खसरा संख्या 1297/1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 1313 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा तथा खसरा संख्या 1314/2 रकबा 4 बीघा चाही अव्वल कुल रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया। उक्त वाद विचाराधीन रहने के दौरान प्रतिवादी-पक्ष की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया गया, जिसका निस्तारण करते हुए जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13 मार्च 2020 को उक्त मूल दावा खारिज कर दिया गया। जिसके खिलाफ वादीगण-अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि आलौच्य मामले में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान लागू ही नहीं होते है, इसके उपरान्त भी मूल दावा प्रस्तुत होने के करीब 10 साल बाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थनापत्र निस्तारित करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा मूल दावा खारिज कर दिया गया, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है।

अपनी बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजियात पूर्व में अपीलाण्ट्स के दादा रावत के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी, उनके जीवनकाल में ही अपीलाण्ट्स के पिता घीसा का देहान्त हो गया, इस कारण दादा रावत के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजियात बाबत घीसा के चार पुत्रों के नाम म्युटेशन

25.X.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्वीकार किया गया। चूंकि वादीगण-अपीलाण्ट्स भी घीसा की जाइन्दा पुत्रियॉ है, अतः विरासतन उनका भी हक-हिस्सा वादग्रस्त आराजियात में बनता है। घीसा द्वारा वादग्रस्त आराजियात का कभी कोई बेचान अथवा हस्तान्तरण भींयाराम अथवा अन्य किसी के पक्ष में नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दावा राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जिसके लिय वादीगण-अपीलाण्ट्स को न तो किसी बेचाननामा को खारिज कराने की आवश्यकता है और न ही ऐसे राजस्व वाद के संबंध में मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू होते है।

मियाद प्रार्थनापत्र के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि लॉक डाउन के कारण मामले में मुकर्रर तारीख पेशी 23 मार्च 2020 पर वादीगण अथवा उनके अधिवक्ता विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाये और न ही उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी बाबत कोई बहस की गयी। मगर विचारण न्यायालय द्वारा मामले में पीछे की तारीख में निर्णय पारित किया जाना दर्शाते हुए मूल दावा खारिज कर दिया गया। इस कारण अपीलाधीन निर्णय बाबत समुचित समय में कोई जानकारी नहीं हो पायी। दिनांक 06 जुलाई 2020 को अपीलाण्ट्स द्वारा अपने अधिवक्ता के जरिये विचारण न्यायालय में जानकारी कराये जाने पर दिनांक 23 मार्च 2020 को कोई वाद-सूची नहीं बनना बताया गया और मूल वाद में अपीलाधीन निर्णय पारित हो जाना बताया गया, तब नकल प्राप्त करने के बाद आवश्यक कार्यवाही कर जानकारी की दिनांक से आलौच्य अपील निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत कर दी गयी है, जो अन्दर मियादशुमार की जावे।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 20 नियम 6ए(2) सीपीसी स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थनापत्र निस्तारित करते हुए खारिज कर दिया गया, किन्तु अपीलाधीन निर्णय के अनुसरण में कोई डिकी पर्चा तैयार ही नहीं किया गया। अतः अपीलाधीन निर्णय के अंतिम पद को ही डिकी पर्चा समझा जावे।

25.X.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने जाहिर किया कि प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या एक से चार द्वारा खाता संख्या 1223 में दर्ज आराजी खसरा संख्या 1297/1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 1313 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा तथा खसरा संख्या 1314/2 रकबा 4 बीघा चाही अव्वल में अपने हिस्से की भूमि का 1/10वॉ हिस्सा तथा खाता संख्या 1224 में दर्ज आराजी खसरा संख्या 1314/1 रकबा 3 बिस्वा गैरमुमकिन बेरा में अपने हिस्से का 1/20वॉ हिस्सा जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 27 फरवरी 1974 को भींयाराम पुत्र रूपाराम, सुजाराम पुत्र प्रभुराम, नाथुराम पुत्र ताकूराम, हमीर पुत्र भभूत के पक्ष में बेचान कर दिया था। तब से आदिनांक तक उक्त केतागण अपनी कयशुदा भूमि पर बतौर खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण-अपीलाण्ट्स एवं प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या एक से चार परस्पर सगे भाई-बहिन है जिन्हें परस्पर दुराभिसंधि कर उक्त बेचान की गयी भूमि की सच्चाई छिपाते हुए विचारण न्यायालय में दावा पेश किया जो हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधित) अधिनियम 2005 के प्रावधानों के विपरीत है। हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधित) अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अनुसार दिनांक 09 सितम्बर 2005 को पिता जीवित नहीं होने की स्थिति में पुत्रियों को सहदायिक नहीं माना जा सकता है। उक्त धारा के प्रावधानों अनुसार पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार दिया गया है किन्तु उन्हें बिकी व दान को चुनौती देने में सक्षम नहीं माना है। आलौच्य मामले में उक्त दिनांक से पूर्व ही वर्ष 1974 में ही वादग्रस्त भूमि बाबत बेचान किया जा चुका है। इन सभी विधिक प्रावधानों एवं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय के जरिये मूल दावा खारिज करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि अथवा अनियमितता नहीं की गयी है।

मियाद के संबंध में अधिवक्ता-रेस्पो. ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद में आदेशिका दिनांक 06 मार्च 2020 के अनुसार प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर बहस हेतु

25.7.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आगामी पेशी दिनांक 13 मार्च 2020 मुकर्रर की गयी और दिनांक 13 मार्च 2020 को उक्त प्रार्थनापत्र बाबत वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट्स द्वारा मियाद प्रार्थनापत्र में दिनांक 23 मार्च 2020 की पेशी नियत होने एवं पीछे की तारीख में अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने संबंधित अंकित तथ्य निराधार एवं मिथ्या होने के कारण उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः उक्त प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे एवं तदनुसार अपील अपीलाण्ट्स मियाद-बाधित होने के कारण खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 5 ने मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 20 नियम 6ए(2) सीपीसी के संदर्भ में विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थनापत्र निस्तारित करते हुए खारिज कर दिया गया, किन्तु अपीलाधीन निर्णय के अनुसरण में कोई डिकी पर्चा तैयार ही नहीं किया गया। अतः अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 20 नियम 6ए(2) सीपीसी अपीलाधीन निर्णय के अंतिम पद को ही डिकी पर्चा स्वीकार किया जाता है।

मियाद के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र उपलब्ध एवं अभिलेख का अवलोकन करने पर विदित होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद में आदेशिका दिनांक 06 मार्च 2020 के अनुसार प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर बहस हेतु आगामी पेशी दिनांक 13 मार्च 2020 मुकर्रर की गयी और दिनांक 13 मार्च 2020 को उक्त प्रार्थनापत्र बाबत वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। इससे जाहिर है कि प्रार्थनापत्र में अंकित बिन्दुओं की उपलब्ध

25.X.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अभिलेख से पुष्टि नहीं होती है। किन्तु मियाद के संबंध में समय-समय पर विभिन्न मामलों में माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में मियाद के बिन्दु पर अपील खारिज करने के पूर्व मामले के गुणावगुण बाबत सिंहालोकन किया जाना न्यायहित में आवश्यक समझती है।

गुणावगुण के आधार पर वाद की संधारणीयता के संबंध में प्रकरण में दोनों पक्षों के अभिकथनों, प्रस्तुत बेचाननामा की नकल एवं स्वीकृत नामान्तरकरणों के आधार पर यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि वादग्रस्त आराजियात के खातेदार रावत तथा उसके पुत्र घीसा के देहान्त के बाद फौतेदगी म्युटेशन 793 दिनांक 10 अप्रेल 1974 स्वीकृत किया जाकर वादग्रस्त आराजियात घीसा के चार पुत्रों (प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या एक से चार) के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गयी। जाहिर है कि वादग्रस्त आराजियात के खातेदार रावत व उसके पुत्र घीसा का देहान्त इससे पूर्व हो चुका था। निर्वसीयत हिन्दू मृतक की सम्पत्ति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनिम की धारा 8(क) के अनुसार प्रथमतः अधिकार उन वारिसान का है जो अनुसूची के वर्ग एक में विनिर्दिष्ट संबंधी है। अनुसूची के वर्ग एक में पुत्र तथा पुत्रियों भी सम्मिलित है। ऐसी स्थिति में आलौच्य मामले में रावता व उसके पुत्र घीसा के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजियात में घीसा की पुत्रियों को भी घीसा के पुत्रों के समान ही अधिकार अर्जित हो जाते है। हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधित) अधिनियम 2005 की धारा 6 में सहदायिकी एवं पुत्रियों के जन्म से ही अधिकार के संबंध में संशोधन किया गया है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात में वादीगण-अपीलाण्ट्स के विरासतन अधिकारों के संबंध में विधिवत तनकी कायम की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बिना मात्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थनापत्र का निस्तारण करते हुए विनिश्चयन किया जाना न्यायोचित एवं विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाया जाता हैं।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि आलौच्य मामले में सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजियात का बेचान नहीं किया गया है अपितु स्वंय

25-X-'23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रतिवादी-पक्ष के अनुसार प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या एक से चार द्वारा खाता संख्या 1223 में दर्ज आराजी खसरा संख्या 1297/1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 1313 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा तथा खसरा संख्या 1314/2 रकबा 4 बीघा चाही अव्वल में अपने हिस्से की भूमि का 1/10वॉ हिस्सा तथा खाता संख्या 1224 में दर्ज आराजी खसरा संख्या 1314/1 रकबा 3 बिस्वा गैरमुमकिन बेरा में अपने हिस्से का 1/20वॉ हिस्सा का ही बेचान जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 27 फरवरी 1974 को भींयाराम पुत्र रूपाराम, सुजाराम पुत्र प्रभुराम, नाथुराम पुत्र ताकूराम, हमीर पुत्र भभूत के पक्ष में किया गया है। ऐसी स्थिति में वादीगण-अपीलाण्ट्स द्वारा याचित अनुतोष के लिए बकाया भूमि उपलब्ध रहती है। अतः उक्त पंजीबद्ध विकय विलेख खारिज नहीं कराये जाने के आधार पर भी विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद विधिवत तनकी कायम की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बिना मात्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थनापत्र का निस्तारण करते हुए खारिज कर दिया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में आलौच्य अपील गुणावगुण पर सारवान पायी जाने से अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को न्यायहित में क्षमा किया जाकर अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियादशुमार की जाती है और गुणावगुण पर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13मार्च 2020 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त समस्त ऑब्जर्वेशन के परिप्रेक्ष्य में मूल वाद में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए दावे एवं जबाब के आधार पर विधिवत तनकियात कायम की जावे और उभयपक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण कर निष्कर्ष अंकित करते हुए मामले का न्यायोचित निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25.X.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर